मुख्यालय, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग, उत्तराखण्ड,

(जिला कारागार परिसर, सुद्धोवाला, देहरादून)
E-mail ig-jail-uk@nic.in & igprisonsuk@gmail.com

संख्या– 1618 /33/महिला लैं0उ0शि0/2022 दिनांक 27 अक्टूबर, 2023

सेवा में,

समस्त वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक,
कारागार, उत्तराखण्ड।

विषयः– **मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या–2482/2014 में पारित आदेश दिनांक 12.05.2023 के अनुपालन में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत आन्तरिक परिवाद समिति के गठन एवं संचालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड के पत्रांक सी–2069/वाद–7042/2482/2014, 2023–24 दिनांक 20.09.2023 द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या–2482/2014 में पारित आदेश दिनांक 12.05.2023 की प्रति संलग्न करते हुए, अवगत कराया गया है कि मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 12.05.2023 अनुपालन में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अन्तर्गत निम्नानुसार कार्यवाही अपेक्षित हैः–

(1). कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 की धारा 4 के अनुपालन में आन्तरिक परिवाद समिति का गठन अनिवार्य रूप से किया जाये। यदि पूर्व से समितियाँ गठित हैं, तो उन्हें निमयानुसार अद्यतन कर लिया जाये। आन्तरिक परिवाद समिति व स्थानीय परिवाद समिति के गठन से सम्बन्धित कार्यालय आदेश की प्रति शासकीय वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाये।

(2). आन्तरिक परिवाद समिति के गठन और संरचना के बारे में आवश्यक जानकारी, ई–मेल आईडी का विवरण और नामित व्यक्ति (व्यक्तियों) के सम्पर्क नम्बर ऑनलाईन शिकायत प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया, साथ ही प्रासंगिक नियम, विनियम और आन्तरिक नीतियां सम्बन्धित संगठन/संस्था/कार्यकारी संगठन की वेबसाईट पर अपलोड की जाय।

2– उक्त क्रम में अवगत कराना है कि **'महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013'** की धारा–4 में प्रत्येक कार्यस्थल पर निम्नवत आंतरिक परिवाद समिति गठित किये जाने का प्राविधान हैः–

(1) किसी कार्यस्थल का प्रत्येक नियोजक, लिखित आदेश द्वारा, ''आंतरिक परिवाद समिति'' नामक एक समिति का गठन करेगा,

परंतु जहां कार्यस्थल के कार्यालय या प्रशासनिक यूनिटें, भिन्न–भिन्न स्थानों या खंड या उपखंड स्तर पर अवस्थित हैं, वहां आंतरिक समिति सभी प्रशासनिक यूनिटों या कार्यालयों में गठित की जाएगी।

क्रमशः– 2.....

Scanned with OKEN Scanner

(2) आंतरिक समिति, नियोजक द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी अर्थात्:–

(क) एक पीठासीन अधिकारी, जो कर्मचारियों में से कार्यस्थल पर ज्येष्ठ स्तर पर नियोजित महिला होगी,

परंतु किसी ज्येष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी के उपलब्ध नहीं होने की दशा में, पीठासीन अधिकारी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट कार्यस्थल के अन्य कार्यालयों या प्रशासिनक यूनिटों से नामनिर्देशित किया जाएगा,

परंतु यह और कि कार्यस्थल के अन्य कार्यालयों या प्रशासनिक यूनिटों में ज्येष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी नहीं होने की दशा में, पीठासीन अधिकारी, उसी नियोजक या अन्य विभाग या संगठन के किसी अन्य कार्यस्थल से नामनिर्दिष्ट किया जायेगा,

(ख) कर्मचारियों में से दो से अन्यून ऐसे सदस्य, जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति अधिमानी रूप से प्रतिबद्ध हैं या जिनके पास सामाजिक कार्य में अनुभव है या विधिक ज्ञान है,

(ग) गैर–सरकारी संगठनों या संगमों में से ऐसा एक सदस्य जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध है या ऐसा कोई व्यक्ति, जो लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से सुपरिचित है,

परंतु इस प्रकार नामनिर्देशित **कुल सदस्यों में से कम से कम आधे सदस्य महिलाएं होंगी।**

(3) आंतरिक समिति का पीठासीन अधिकारी और प्रत्येक सदस्य अपने नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेगा, जो नियोजक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय।

(4) गैर–सरकारी संगठनों या संगमों में से नियुक्त किए गए सदस्य को आंतरिक समिति की कार्यवाहियां करने के लिए नियोजक द्वारा ऐसी फीसें या भत्ते, जो विहित किए जाएं, सदंत्त किए जाएंगे।

(5) जहां आंतरिक समिति का पीठासीन अधिकारी या कोई सदस्य–

(क) धारा 16 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, या

(ख) किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है या उसके विरूद्ध तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अपराध की कोई जांच लंबित है, या

(ग) किन्हीं अनुशासनिक कार्यवाहियों में दोषी पाया गया है या उसके विरूद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही लंबित है, या

(घ) अपनी हैसियत का इस प्रकार दुरूपयोग करता है, जिससे उसका पद पर बने रहना लोक हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो गया है,

वहां, यथास्थिति, ऐसे पीठासीन अधिकारी या सदस्य को समिति से हटा दिया जाएगा और इस प्रकार सृजित रिक्ति या किसी अन्य आकस्मिक रिक्ति को इस धारा के उपबंधों के अनुसार नए नामनिर्देशन द्वारा भरा जाएगा।

क्रमशः– 3.....

Scanned with OKEN Scanner

3— मा0 सर्वोच्च न्यायलय में योजित रिट याचिका संख्या–2482/2014 में पारित आदेश दिनांक 12.05.2023 तथा 'महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013' के अनुपालन हेतु **अधिनियम की धारा–4 के अनुसार प्रत्येक कारागार में 'आन्तरिक परिवाद समिति' गठित की जायेगी।** यदि कारागार में कोई ज्येष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी उपलब्ध न हो, तो पीठासीन अधिकारी, अधिनियम की धारा–4 उपधारा (1) के अनुसार अन्य कारागार की ज्येष्ठ महिला कर्मचारी को नामनिर्देशित किया जाएगा,

परंतु, यदि अन्य कारागार में भी ज्येष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी न हो तो जिलाधिकारी कार्यालय या जिला पुलिस कार्यालय के ज्येष्ठ महिला कार्मिक को नामनिर्दिष्ट किया जायेगा।

अतः मा0 सर्वोच्च न्यायलय में योजित रिट याचिका संख्या–2482/2014 में पारित आदेश दिनांक 12.05.2023 की प्रति एवं 'महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013' की प्रति को संलग्न करते हुए निर्देशित किया जाता है कि अपनी कारागार में उपरोक्तानुसार 'आन्तरिक परिवाद समिति' गठित करते हुए, समिति की संरचना के बारे में आवश्यक जानकारी, ई–मेल आईडी का विवरण और नामित व्यक्ति (व्यक्तियों) के सम्पर्क नम्बर ऑनलाईन शिकायत प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया की सूचना इस मुख्यालय को शीघ्र उपलब्ध करायी जाय, जिससे सम्बन्धित सूचना, प्रासंगिक नियम, विनियम और आन्तरिक नीतियां विभागीय वेबसाईट **Prison.uk.gov.in** पर समय से अपलोड किया जा सके।

सलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

24/X/2023

(दधिराम)
उप महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग,
उत्तराखण्ड।

Scanned with OKEN Scanner